न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2023-406RAAJodhpur2023-162RTA225 Smt. Pani Devi ors Vs Smt. Chandradevi etc

01. श्रीमती पानी देवी उर्फ ढलकी देवी पत्नी री इन्द्राराम जी, जाति सुथार, निवासी- 14, नेहरू नगर, बिड़ला स्कूल के सामने जोधपुर।
02. श्रीमती सुगना देवी पत्नी श्री श्यामलाल जी, जाति सुथार, निवासी- गोगामण्ड का बास, पाल, जोधपुर।
03. श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी श्री राजेन्द्र सुथार, जाति सुथार, निवासी- 27 शॉपिंग सेन्टर पुलिस चौकी, द्वितीय पुलिया, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।

अपीलाण्ड्स ...

ब

ना

म

01. श्रीमती चन्द्रा देवी पत्नी श्री वजाराम जी, जाति सुथार, निवासी- पंतजली स्टोर रामनगर, चमन गली, बिड़ला स्कूल के सामने जोधपुर। **(फौत होने से नाम विलोपित)**
02. भंवरलाल सुथार पुत्र श्री वजाराम जी जाति सुथार, निवासी- पंतजली स्टोर रामनगर, चमन गली, बिड़ला स्कूल के सामने जोधपुर।
03. सोनाराम सुथार पुत्र श्री वजाराम जी, जाति सुथार, निवासी- गणेश ट्रेडर्स भट्टी की बावड़ी, चौपासनी रोड़, जोधपुर।
04. अमरचन्द सुथार पुत्र श्री वजाराम जी, जाति सुथार, निवासी- 73-बी अरोड़ा पार्क के पास, कमला नेहरू नगर, द्वितीय विस्तार, जोधपुर।
05. गोपालकृष्ण सुथार पुत्र श्री वजाराम जी, जाति सुथार, निवासी- देवी रोड़, चांदणा भाखर, जोधपुर एवं 73-बी अरोड़ा पार्क के पास, कमला नेहरू नगर द्वितीय विस्तार जोधपुर।
06. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

08.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 29 सितंबर 2021 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी शहर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 62/2021 पानी देवी उर्फ ढलकी देवी व अन्य बनाम चन्द्रा देवी इत्यादि

उपस्थित-

श्री युवराज सिंह चौहान, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. 6

निर्णय

दिनांक : 08 फरवरी 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 62/2021 अनवान पानी देवी उर्फ ढलकी देवी व अन्य बनाम चन्द्रा देवी इत्यादि में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29 सितंबर 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 25 अक्टूबर 2021 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 259, 261, 74 ग्राम भाण्डू कल्ला तहसील लूणी के संबंध खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22 सितंबर 2021 के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से इंकार कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट्स की पुश्तैनी आराजी है जो उनके ननिहाल से प्राप्त हुई है तथा अपीलांट्स की मा रेस्पोडेंट संख्या

c0.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

एक के नाम दर्ज है। अपीलांट्स के भाई/रेस्पो. उनकी माता पर दबाव बनाकर वादग्रस्त आराजी के अंतरण पर आमादा है। इसलिए विचारण न्यायालय में विचाराधीन वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपने केस को बखूबी साबित किया है, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी के खातेदार नहीं होने से उनके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से इंकार कर दिया। रेस्पोडेंट्स वादग्रस्त आराजी को प्लॉट में विभक्त कर बेचान करने पर आमादा है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में है। अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित किया जाना आवश्यक है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश दिनांक 22 सिंबतर 2021 को खारिज फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थीगण को पाबंद फरमाया जावे कि वे विचारण न्यायालय में विचाराधीन मूल वाद के निस्तारण तक भूमि खसरा नं. 259, 261 व 74 ग्राम भाण्डू कलां तहसील लूणी पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे तथा उक्त भूमि को आगे से आगे अन्य व्यक्ति को बेचान नहीं करे एवं वादग्रस्त आराजी बाबत यथास्थिति बनाये रखे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। वादग्रस्त आराजी अपीलांट्स की

08.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पुश्तेनी भूमि होने तथा उसमें अपीलांट्स का पुश्तैनी हिस्से का निर्धारण विचारण न्यायालय में विचाराधीन खातेदारी अधिकारों की घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में जरिये साक्ष्य तय होना है। वाद के विचारधीन रहते वादग्रस्त आराजी आराजी में उनका संभावित हिस्सा खुद-बुर्द न हो, इसलिए उसे संरक्षित किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं होने से समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

यह भी उल्लेखनीय है अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध है तथा विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय को मामला निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 62/2021 अनवान पानी देवी उर्फ ढलकी देवी व अन्य बनाम चन्द्रा देवी इत्यादि में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29 सितंबर 2021 अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का विधिसम्मत रूप से अंतिम निस्तारण करे। तब तक रेस्पोडेंट्स विवादग्रस्त भूमि खसरा नं. 259, 261, 74 कुल रकबा 81.04 बीघा आधे हिस्से में सें अपीलांट्स के संभावित पुश्तैनी हिस्से का <u>बेचान/हस्तांतरण</u> नहीं करे। अदालत हाजा

10.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

का उक्त आदेश दो पश्चात यानि दिनांक 08 अप्रैल 2024 के पश्चात स्वतः ही निरस्त माना जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर